दिनांक—12.04.2024 को श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक में की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— यथा संधारित।

दिनांक—12.04.2024 को राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में की गई।

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना तथा संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) की उपस्थिति में की गई जिलावार प्रगति एवं तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रगति एवं समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैं—

1. **प्रथम चरण अन्तर्गत 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की समीक्षाः** — बैठक में सर्वप्रथम प्रथम चरण अन्तर्गत 4927 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि विगत एक वर्ष में समीक्षात्मक बैठकों में दिए जा रहे निरन्तर निदेशों के बावजूद अब तक 06 जिलों द्वारा 176 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है। इन जिलों में सर्वाधिक राजस्व ग्रामों की संख्या किशनगंज में पाई गई। उपर्युक्त 06 जिलों में चल रहे प्रक्रमवार प्रगति की स्थिति निम्नवत् पाई गईः—

2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्राम में प्रक्रमवार प्रगति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र—6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	एल0पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अरवल	166	151	15	0	0	1	1	2	11	
2	बेगूसराय	287	265	22	1	4	6	5	2	3	
3	खगड़िया	78	76	2	2	0	0	0	1	0	
4	किशनगंज	284	161	123	0	65	8	45	5	0	
5	मधेपुरा	61	54	7	0	0	0	0	3	4	
6	मुंगेर	264	257	7	0	0	0	0	2	5	
कुल		1140	964	176	3	69	15	51	15	23	

उक्त प्रगति के आलोक में 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त प्रतिवेदन निम्नवत हैः—

(i) अरवल जिले द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों वाले शेष 15 राजस्व ग्रामों के मानचित्र में अपडेशन का कार्य प्रगति पर है एवं अप्रैल, 2024 में सभी राजस्व ग्रामों में प्रपत्र—12 प्रकाशित कर दिया जाएगा।

(ii) बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष 22 राजस्व ग्रामों में से 04 राजस्व ग्रामों में रेलवे की भूमि होने एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण कठिनाई आ रही है। प्रतिवेदित किया गया कि 30 अप्रैल, 2024 तक उक्त 04 राजस्व ग्रामों को छोड़कर शेष 283 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–12 प्रकाशित कर दिया जाएगा।

(iii) बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि लंबित 123 राजस्व ग्रामों में खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, किन्तु पूर्व में प्रपत्र–6 में प्रविष्टि का कार्य प्रपत्र में संधारित नहीं किए जाने एवं अव्यवस्थित ढंग से एकत्रित आंकड़ों को सीधे सॉफ्टवेयर में इन्ट्री किए जाने के कारण प्रपत्र–6 की प्रविष्टि में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है। आश्वस्थ्त किया गया कि 30 अप्रैल, 2024 तक कुल लंबित 123 राजस्व ग्रामों में 75 को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

(iv) मधेपुरा एवं मुंगेर के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरा तक वाले सभी लंबित 7–7 ग्राम विश्रांति अथवा मैप अपडेशन की प्रक्रिया में हैं एवं 10 दिनों में सभी का प्रपत्र–12 प्रकाशित कर दिया जाएगा।

2. <u>2500 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा</u>: – समीक्षा में पाया गया कि प्रथम चरण अन्तर्गत 2500 से 5000 खेसरों तक वाले कुल 1117 राजस्व ग्रामों में अब तक मात्र 352 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–12 प्रकाशित किया गया है एवं 246 राजस्व ग्रामों में अभी तक खानापुरी का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलावार प्रक्रमवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त प्रक्रमवार लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए निम्नरूपेण समय–सीमा निर्धारित की गई।

2500–5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्राम में प्रक्रमवार प्रगति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप अधिकार प्रकाशित	अवशेष	खानापुरी		प्रपत्र–6 इंट्री		एल0 पी0 एम0 लंबित	सुनवाई		विश्रांति / Map Updation के लिए लंबित		अभ्युक्ति
					अवशेष	पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	अवशेष	पूर्ण किए जाने का लक्ष्य		अवशेष	पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	अवशेष	पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	
1	अररिया	32	9	23	0	5 मई	11	30 अप्रैल	0	11		1		
2	अरवल	88	8	80	20	30 अप्रैल	20	30 अप्रैल	21	3		16		
3	बांका	57	18	39	9	5 मई	17	30 अप्रैल	3	6	30 अप्रैल	4		
4	बेगूसराय	67	6	61	29	5 मई	16	30 अप्रैल	2	13	30 अप्रैल	1		
5	जमुई	30	11	19	3	30 अप्रैल	8	30 अप्रैल	2	4		1		
6	जहानाबाद	56	18	38	3		5	30 अप्रैल	14	10	30 अप्रैल	6		
7	कटिहार	34	26	8	0	–	0	–	0	0	–	8	30 अप्रैल	

8	खगड़िया	45	9	36	6	5 मई	19	08 – 30 अप्रैल; 11– 30 मई	3	7	30 अप्रैल	1		
9	किशनगंज	97	0	97	82	5 मई	15	30 अप्रैल	0	0	–	0	–	
10	लखीसराय	85	7	78	23	5 मई	38	15 मई	0	13		4		
11	मधेपुरा	18	0	18	2		8	30 अप्रैल	3	3	30 अप्रैल	2		
12	मुंगेर	33	17	16	0	–	3	30 अप्रैल	0	8	30 अप्रैल	5		
13	नालंदा	102	51	51	0	–	1	30 अप्रैल	13	30	30 अप्रैल	5		दो राजस्व ग्रामों का सी०एस० मानचित्र अनुपलब्ध है।
14	पूर्णियाँ	6	6	0	0	–	0	–	0	0	–	0	–	
15	सहरसा	45	8	37	17		7		0	10		3		
16	शेखपुरा	64	64	0	0	–	0	–	0	0	–	0	–	
17	शिवहर	25	17	8	0	–	3	30 अप्रैल	0	5	30 मई	0		
18	सीतामढ़ी	106	22	84	35	5 मई	26	30 अप्रैल	0	17		6		
19	सुपौल	64	41	23	10	5 मई	5	30 अप्रैल	3	0	–	5		
20	प० चम्पारण	63	14	49	7	5 मई	19	30 अप्रैल	6	10		7		
	कुल	**1117**	**352**	**765**	**246**		**221**		**70**	**150**		**75**		

3. <u>**5000 से अधिक खेसरा वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा**</u>: विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण अन्तर्गत 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों की समीक्षा उपरान्त 5000 से अधिक खेसरों वाले ग्रामों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्नवत प्रगति पाई गई–

5000 से अधिक खेसरा तक वाले राजस्व ग्राम में प्रक्रमवार प्रगति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नही हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	34	0	34	0	16	1	15	0	1	1	0	
2	अरवल	58	0	58	22	29	0	7	0	0	0	0	
3	बांका	48	0	48	16	22	2	5	1	0	1	1	
4	बेगूसराय	75	1	74	7	53	0	10	3	0	1	0	
5	जमुई	56	0	56	22	28	0	5	0	0	1	0	
6	जहानाबाद	25	0	25	6	16	1	0	0	0	2	0	
7	कटिहार	17	0	17	0	0	0	1	4	0	6	6	
8	खगडिया	31	0	31	0	21	1	6	3	0	0	0	
9	किशनगंज	73	0	73	46	27	0	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	29	22	0	8	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35	0	31	3	1	0	0	0	0	
12	मुंगेर	9	0	9	1	5	0	3	0	0	0	0	

13	नालंदा	77	2	75	0	42	0	23	7	3	0	0
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	5	0	7	0	1	0	0
15	सहरसा	35	0	35	0	25	0	8	0	2	0	0
16	शेखपुरा	60	28	32	0	4	0	18	0	0	6	4
17	शिवहर	24	0	24	4	11	9	0	0	0	0	0
18	सीतामढी	57	0	57	0	43	0	12	1	0	0	1
19	सुपौल	60	5	55	5	38	0	0	2	0	6	4
20	प० चम्पारण	66	0	66	12	40	3	9	1	1	0	0
	कुल	**912**	**36**	**876**	**170**	**478**	**20**	**138**	**22**	**8**	**24**	**16**

4. <u>भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रक्रमवार किए गए कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों आदि की अपलोडिंग</u>: — बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत किए जा रहे प्रक्रमवार कार्यों की भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग की समीक्षा में पाया गया कि विगत् समीक्षात्मक बैठकों में दिये निरन्तर निदेशों के बावजूद विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्व एवं प्रकाशन पश्चात रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति एवं आदेशों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में अपलोडिंग की प्रगति निम्नवत पाई गई:–

क्र0 सं0	प्रक्रम	20 जिलों प्राप्त कुल दावा/आपत्ति	अपलोड किये गये दावा/आपत्ति की संख्या	अंतर
1	प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्व प्राप्त दावा/आपत्ति एवं आदेश के भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग की स्थिति	37925	14357	23568
2	प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति एवं आदेश के भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग की स्थिति	99426	53796	45630

उक्त समीक्षा के आलोक में निदेशित किया गया कि शिविर स्तर पर रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति को नियमित अपलोड नहीं किया जाना विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की सुनवाई प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

निदेशित किया गया कि जिला स्तर से प्रपत्रों के अपलोडिंग की नियमित समीक्षा की जाय एवं रैयतों से प्राप्त सभी दावा/आपत्ति एवं पारित किये गये सभी आदेशों को यथाशीघ्र भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण के 12 राजस्व ग्रामों में रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि होने एवं उनसे संबंधित दस्तावेज नहीं प्राप्त होने के कारण कार्य में बाधा आ रही है। सीतामढ़ी के समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में शिविर रीगा–1 के एक राजस्व ग्राम अंतर्गत 2181 प्रपत्र–6 की प्रविष्टि प्रदर्शित की गई है, जबकि निदेशालय के आई0टी0 सेल द्वारा सॉफ्टवेयर से सत्यापन कर बताया गया कि मात्र 41 इंट्री ही की गई है। सुपौल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 05 राजस्व ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–1155 दिनांक–17.05.2022 का विरोध करते हुए वर्त्तमान समय में नदी में समाहित भूमि का खाता रैयतों के नाम से खोलने की मांग की जा रही है। समीक्षा के क्रम में पश्चिम चम्पारण एवं अररिया में प्रपत्र–6 के इंट्री की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई।

निदेशित किया गया कि बेगूसराय में जिन ग्रामों में रेलवे आदि की भूमि दस्तावेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वहाँ उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विशेष सर्वेक्षण की अग्रेतर कार्रवाई की जाय। सीतामढ़ी के रीगा–01 शिविर प्रभारी से गलत प्रतिवेदन देने के लिए कारण पृच्छा की जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर पर कोई भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के पूर्व जिला स्तर पर उसका भलीभाँति जाँच कर ली जाय। सुपौल जिले में जिन ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण का विरोध किया जा रहा है, वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों का समझाने का प्रयास किया जाय। पश्चिम चम्पारण एवं अररिया की प्रगति को देखते हुए निदेशालय स्तर से दोनों जिलों में पदाधिकारियों का दल भेजा जाय।

जिलास्तरीय प्रगति के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान समय में लोकसभा निर्वाचन, 2024 प्रारंभ हो चुका है एवं जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों यथा–विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त किये जाने के कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य गति प्रभावित हो रही है। बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण अंतर्गत के 4927 राजस्व ग्रामों में 868 राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि 868 राजस्व ग्रामों में अधिकांश राजस्व ग्राम 2500 अथवा 5000 खेसरों से अधिक वाले है और इस कारण अभी भी चयनित जिलों के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यदि आगामी दो माह में खानापुरी का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता हो तो 15 जून के बाद से वर्षा ऋतु एवं संभावित बाढ़ के कारण खानापुरी का कार्य प्रभावित होगा।

जिलास्तरीय समीक्षोपरांत वर्त्तमान में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में गति लाने एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–177 दिनांक–11.01.2024 के आलोक में सभी अंचलों में प्रारंभ किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण कार्य को देखते हुए निम्नवत निदेश दिये गये:–

1. निदेशित किया गया कि सभी जिलों को प्रथम चरण में संचालित 4927 राजस्व ग्रामों में खानापुरी हेतु लंबित ग्रामों में खानापुरी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने के संबंध में निदेशित किया जाय। सभी शिविरों द्वारा प्रतिदिन प्रति अमीन कम–से–कम 50 खेसरों की खानापुरी का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

2. सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध किया जाय कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में संलग्न कर्मियों को निर्वाचन संबंधी नियमित कार्य, यथा–कोषांगों में प्रतिनियुक्ति इत्यादि में नहीं लगाया जाय एवं अनिवार्य परिस्थिति में केवल निर्वाचन कार्य में लगाया जाय।

3. राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए नवनियोजित होने वाले कर्मियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए सभी जिलों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने वाले कर्मियों की सूची दिनांक–25.04.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय एवं मास्टर प्रशिक्षकों को निदेशालय स्तर पर मई, 2024 से प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया जाय।

4. जिन सभी जिला स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा सप्ताह में कम–से–कम तीन दिन विशेष सर्वेक्षण का निरीक्षण किया जाय एवं निरीक्षण उपरांत CVMS (Camp Visit Monitoring System) के तहत निरीक्षण प्रतिवेदन निश्चित रूप से अपलोड किया जाय।

5. जिन विशेष सर्वेक्षण शिविरों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व अथवा प्रकाशन पश्चात सुनवाई की प्रक्रिया संपादित की जा रही है, उन शिविर में सुनवाई के दिन सुनवाई (कार्य अवधि) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक संपादित करना सुनिश्चित किया जाय।

6. जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / राजस्व पदाधिकारी द्वारा विभिन्न शिविरों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर संधारित किये जा रहे प्रक्रमवार कार्यों की प्रगति का नियमित लॉग–इन कर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

7. 20 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा उनके जिले अंतर्गत सभी अंचलों में जून, 2026 तक विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण करने के संबंध में कार्य–योजना तैयार कर निदेशालय को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......1884...... **पटना, दिनांक:** 18/04/2024

प्रतिलिपिः बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज, अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुर / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......1884...... **पटना, दिनांक:** 18/04/2024

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / तक0 को0–312 / 2018–Part-IV ......1884...... **पटना, दिनांक:** 18/04/2024

प्रतिलिपिः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17/तक0 को0–312/2018–Part-IV ....1884........ पटना, दिनांक: 18/04/2024

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17/तक0 को0–312/2018–Part-IV ....1884........ पटना, दिनांक: 18/04/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17/तक0 को0–312/2018–Part-IV........1884........ पटना, दिनांक: 18/04/2024

प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17/तक0 को0–312/2018–Part-IV ....1884........ पटना, दिनांक: 18/04/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17/तक0 को0–312/2018–Part-IV ....1884........ पटना, दिनांक: 18/04/2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/04/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू–अभिलेख एवं परिमाप